

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सर्वाई माधोपुर  
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पत्रवाड़ा-2025 शिविर-

प्रकरण संख्या:- 115/2025

दिनांक:- 11/7/2025

श्री मीन पुत्री  
राजेश्वरी

उपखण्ड

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार  
चौथ का बरवाड़ा, जिला सर्वाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का सैडाल भू. अ. नि. भूगवलखर एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम सैडाल पो ह 0 सैडाल की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 217 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
	<u>अशुद्ध प्रविष्टि</u>	<u>ऑफिसरेशन ऑफ शाखा चौथ का बरवाड़ा</u>	<u>यूनिफन ऑफ ऑफिसरेशन शाखा चौथ का बरवाड़ा</u>

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सर्वाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना सुनिश्चित करें।
2. प्रार्थी श्री मीन पुत्री राजेश्वरी को भेजा।
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)